



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

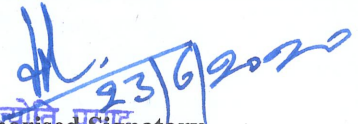
(PERMIT FORM)

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

S. No. :-	858	MAP NO-	20190223090300033
Plot/House	ARAZI NO-45,46, 47, 57, 72, 74, 76 TO 79, 320, 321, 505, 506, 523, 524, 534 TO 538, 514, 516 TO, 518, 484, 483, 485 & 487.	Block/Sector/Type	----
Permit Date	23.06.2020	Scheme	----
Permit No.	1058/BHAWAN/ONLINE/2018-19	Application Date	23.02.2019
Area(Place)	NARAMAU BANGAR & NARAMAU KACHHAR		
Land Usage	LAY-OUT		
Applicant's Name	B.A.P.L. INFRA BUILD PVT. LTD. & OTHER PARTNERS THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY MR. SANDEEP KUSHWAHA		
Present Address	R/O-M.I.G.-220, KAILASH VIHAR, AWAS VIKAS-1, PANKI ROAD, KALYANPUR, KANPUR NAGAR.		

Sanctioned vide order dated :-25.10.2019 V.C. by authorized officer. Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed. Subject to The Conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.


Authorised Signatory
नगर नियोजक
कां वि० प्रा०

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भौतिक का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
4. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
6. स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
7. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार स्थल पर वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे एवं उनकी स्वयं देखभाल करनी होगी।
8. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत व पर्यावरण विभाग की एन0ओ0सी0 प्राप्त कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
9. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा।
10. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी गाईड लाईन-2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणा सामग्री सड़क पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
11. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाईड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. भविष्य में शुल्कों के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है तो आवेदक को देय होगी।
13. तलपट मानचित्र स्थल के अन्तर्गत स्थित 45.00 मीटर चौड़ी कानपुर महायोजना मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण अनाधिकृत कब्जा करने की दशा में प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त माना जायेगा।
14. मानचित्र की स्वीकृति आवासीय (ले-आउट) उपयोग हेतु प्रदान की जा रही है। इतर अनुकिया कदापि अनुमन्य नहीं होगी।
15. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
16. अनुमन्य माइक्रोन सीमा से बाहर की पोलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
17. स्थल पर कूड़ा निस्तारण हेतु एक नीला तथा एक हरा कूड़ादान रखना होगा।
18. रेरा की शर्तों का पालन करना होगा।
19. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की समस्त जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
20. भवन का निर्माण एवं प्रयोग स्वीकृति के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
21. भवन निर्माण में लेबर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
22. स्थल पर समस्त प्रकार के आन्तरिक विकास कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता/आवेदक की होगी।
23. पक्ष द्वारा विद्युत संयोजन, राज्य विद्युत परिषद से अपने व्यय पर लेना होगा।
24. योजना के अन्तर्गत यदि कोई ड्रेन (नाला) होगा तो उसका सेक्शन किसी विशेषज्ञ से निर्धारित कराकर पक्का बनवाकर प्राकृतिक बहाव जारी रखना होगा।
25. विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति आख्याओं में अंकित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
26. परियोजनान्तर्गत कुल प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की संख्या का दस प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 व दस प्रतिशत एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण नियमानुसार परियोजना के अन्तर्गत करना अनिवार्य होगा।
27. समस्त प्रकार के विकास/निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप करने होंगे।
28. तलपट मानचित्र में नियोजित विभिन्न भूखण्डों पर भवन निर्माण से पूर्व पृथक-पृथक मानचित्र स्वीकृत कराने होंगे।
29. शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना होगा।
29. स्थल पर विकास/निर्माण कार्य कराने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/निर्माणकर्ता का होगा।
30. आन्तरिक विकास कार्यों के मद में व्यय होने वाली धनराशि के सापेक्ष लेबर सेस का भुगतान करना होगा अन्यथा की दशा में श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर पंजीकरण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
31. प्रस्तावित तलपट मानचित्र योजना का विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुरक्षण हेतु योजना को स्थानीय निकाय/नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता/भू-स्वामियों का होगा। तब तक योजना के रख-रखाव, अनुरक्षण का दायित्व विकासकर्ता/भू-स्वामियों का होगा।
32. शासनादेश संख्या 1811/आठ-3-14-211विधि/13 दिनांक 17,नवम्बर, 2014 के प्रस्तर 4(1) के स्पष्टीकरण बिन्दु ख(5) के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य को पूर्ण कराने की गारण्टी के रूप में विक्रय योग्य भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत भाग को प्राधिकरण के पास बन्धक रखना है, जो आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण किये जाने के अनुपात में अवमुक्त होंगे।
33. भू-स्वामित्व सम्बन्धी एम0ओ0यू0 एवं एक्सचेन्ज डीड में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
34. अनावासीय भवनों में यू0पी0ई0सी0बी0सी0 कोड-2018 की अपेक्षाओं के अनुसार संयोजित विद्युत अधिभार-100 कि0वा0 या उससे अधिक हो अथवा कान्ट्रैक्ट डिमाण्ड 120 के0वी0ए0 या उससे अधिक हो अथवा भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल-1000 वर्ग मी0 से अधिक एवं निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मी0 (तलघर छोड़कर) में भवन की छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल जो भी कम हो पर रिन्यूबल एनर्जी जनरेशन जोन/सोलर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
35. उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक-25.10.2019 के कम में जारी मांग पत्र दिनांक-04.11.2019 से नियमानुसार 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 02 वर्ष की 08 तिमाही किस्तों में प्रति किस्त रू0 1,50,23,763.00 दिनांक-01.02.2020 से दिनांक-01.11.2021 तक निर्धारित है। अवशेष धनराशि निर्धारित तैमासिक किस्तों में जमा करायी जानी है।
36. स्थल पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसकी प्रति प्राधिकरण में भी प्रस्तुत करनी होगी।
37. शासनादेशानुसार निर्माण करते समय कोविड-19 (नोबल कोरोना वायरस) में दिये गये शर्तों का पालन करना होगा।
38. तलपट मानचित्र पर अंकित अन्य महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रतिबन्ध/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
39. उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा करने की दशा में प्रदान की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Authorised Signatory

नगर नियोजक

कांवि०प्रा०